उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-65 /2015/2761/92-1-2015-30आरई/1999,
दिनांक: लखनऊ: 17 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय लखनऊ में तैनाती के दौरान बरती गयी अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1064(1)/62-3-1999-30आरई/99, दिनांक 05-5-1999 द्वारा सी0सी0ए0 रूल्स के नियम-55 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र दिनांक 24-7-2000 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री बनवारी के विरूद्ध अधिरोपित दोनों आरोप प्रमाणित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 07-9-2001 द्वारा स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत जॉच आख्या की प्रति परिचालित करते हुए अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 15-05-2012 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं स्थापित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक अभियंता, जो अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-01-2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरूद्ध शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करने के आरोप स्थापित पाये गये हैं, किन्तु अधिरोपित आरोपों के स्थापित पाये जाने के बावजूद भी सम्प्रति उनके सेवानिवृत्त हो जाने की स्थिति में अब उनके विरूद्ध किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड प्रदत्त किये जा सकने की स्थिति विद्यमान नहीं रह गयी है। एतदर्थ, प्रकरण में कोई शासकीय क्षति निहित न होने तथा उक्त वर्णित स्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त, श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1064(1)/62-3-1999-30आरई/99, दिनांक 05-5-1999 द्वारा सी0सी0ए0 रूल्स के नियम-55 के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-65/2015/2761(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- श्री बनवारी लाल, तत्कालीन सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।